International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आदिम जनजाति बिरहोर बालिकाओं पर प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (पश्चिमी सिंहभूम जिला के बन्दगाँव प्रखंड के विशेष संदर्भ में)

पूजा कुमारी, शोध छात्रा
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग
राँची विश्वविधालय, राँची

सारांश

यह लेख भारत के झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड में रहने वाले बिरहोर बालिकाओं पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नीतियों के प्रभाव की जांच करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से, यह बिरहोर समुदाय के भीतर सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक गतिशीलता पर शैक्षिक हस्तक्षेप के बहुमुखी प्रभावों की पड़ताल करता है। सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में प्रगति को स्वीकार करते हुए, लेख सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक स्थिरता और शैक्षिक गुणवत्ता की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। यह एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की वकालत करता है जो बिरहोर जनजाति के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक बाधाओं को संबोधित करते हुए सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करता है।

मुख्य शब्द:- बिरहोर जनजाति, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, समाजशास्त्रीय प्रभाव, सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक स्थिरता

भूमिका

भारतीय संदर्भ में,नि:शुल्क शिक्षा की अवधारणा अत्यधिक महत्व रखती है, जो समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए देश की आकांक्षाओं से जुड़ी है। निःशुल्क शिक्षा, बिना किसी लागत के स्कूली शिक्षा प्रदान करनेतक ही सीमित नहीं है वरणयह सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग या भौगोलिक स्थिति के बावजूद, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच के विचार का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में शिक्षा एक अधिकार के बजाय एक विशेषाधिकार रही है, जिसकी पहुंच काफी हद तक संपन्न और सामाजिक रूप से सुविधा प्राप्त समूहों तक ही सीमित है[1]। निःशुल्क और अनिवार्य

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

शिक्षा के उद्देश्य से नीतियों की शुरूआत इन ऐतिहासिक असमानताओं को सुधारने और अधिक न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।भारत में शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार होने से लेकर प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार तक एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरी है। 2009 में अधिनियमित शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आदेश देता है। यह कानून बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुंच की गारंटी देता है और यह सुनिश्चित करने में राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण सीखने के अवसर से वंचित न रहे[2]।

2001 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) एक अन्य प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। एसएसए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, योग्य शिक्षकों की भर्ती करने, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और वर्दी प्रदान करने और विकलांग और उपेक्षित रहने वाले समुदायों के बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। साथ मिलकर, इन पहलों का लक्ष्य भारत में सभी बच्चों के लिए अधिक समावेशी और सुलभ शैक्षिक वातावरण बनाना है[3]।

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (एनएमएमएसएस) और एससी/एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जैसे छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता कार्यक्रम आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं को कम करके मुफ्त शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वित्तीय कठिनाइयाँ शिक्षा तक पहुँचने में बाधा न बनें[4]।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से भारत के झारखंड राज्य में रहती है। परंपरागत रूप से खानाबदोश, बिरहोर समुदाय की आजीविका शिकार, इकट्ठा करने और स्थानीय रूप से प्राप्त लताओं से रस्सी बनाने पर केंद्रित है। उनका जीवन जीने का तरीका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, और उनका पारंपरिक ज्ञान और कौशल पीढ़ियों से चला आ रहा है।हाल के वर्षों में, आरटीई अधिनियम के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की शुरूआत ने बिरहोर जनजाति की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता पर गहरा प्रभाव डाला है, खासकर पश्चिमी

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड में। यह लेख इस क्षेत्र में बिरहोर परिवारों पर इन शैक्षिक नीतियों के समाजशास्त्रीय प्रभावों पर प्रकाश डालता है, और पता लगाता है कि ये परिवर्तन उनके जीवन और समुदायों को कैसे नया आकार दे रहे हैं।

आदिम जनजाति

भारत के जनजातीय समुदायों के बीच पारंपरिक और सांस्कृतिक विविधता की समृद्ध टेपेस्ट्री उन्हें एक-दूसरे से अलग करती है, जो भारतीय संस्कृति की पच्चीकारी में जीवंत रंग और सूक्ष्म विविधताएं जोड़ती है। देश के लगभग पंद्रह प्रतिशत भूभाग पर कब्जा करने वाले ये समुदाय, विशाल भारतीय परिदृश्य में फैले मैदानों, जंगलों, पहाड़ियों और दूरदराज के क्षेत्रों में फैली विविध पारिस्थितिक और भू-जलवायु स्थितियों के बीच पनपते हैं। भारत का संविधान आदिवासी कल्याण और विकास के महत्व को पहचानता है और इसमें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। जनजातियों की सावधानीपूर्वक तैयार की गई सूची, समय-समय पर संशोधनों के अधीन, नीतिगत हस्तक्षेप के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल आदिवासी जनसंख्या 104,281,034 तक पहुंच गई[5]।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की पहचान एक राज्य-विशिष्ट प्रयास है, जो विशिष्ट मानदंडों द्वारा निर्देशित है। इन मानदंडों में आदिम विशेषताएं, विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं, भौगोलिक अलगाव, व्यापक समुदाय से जुड़ने की अनिच्छा और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन शामिल हैं[6]। हालाँकि, यह स्पष्ट हो गया कि सभी पहचाने गए एसटी का विकास पथ समान नहीं है। असमानताएँ उभरीं, कुछ जनजातियाँ प्रगति के मामले में अपने समकक्षों से बहुत पीछे रह गईं।

असमानताओं को दूर करने और व्यापक विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) की अवधारणा 1975-76 में पेश की गई थी। अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में सबसे वंचित के रूप में पहचाने जाने वाले ये समूह, कृषि प्रौद्योगिकी के आदिम स्तर, कम साक्षरता दर और स्थिर या घटती जनसंख्या प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।पीटीजी की पहचान करने के लिए, राज्य सरकारें प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं जिनका योजना आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा कठोरता से

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

मूल्यांकन किया जाता है। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर, एक समुदाय को आधिकारिक तौर पर पीटीजी के रूप में नामित किया जाता है। आज तक, 14 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 75 आदिवासी समुदायों को पीटीजी के रूप में मान्यता दी गई है[7]।2006 में, भारत सरकार ने अपनी अनूठी चुनौतियों के प्रति अधिक संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए पीटीजी का नाम बदलकर "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह" (पीवीटीजी) करने का प्रस्ताव रखा। यह नामकरण इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली बहुमुखी कमजोरियों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता पर जोर देता है, जो उनके समग्र विकास और कल्याण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है[8]। पीटीजी से पीवीटीजी में परिवर्तन सरकार के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के सबसे कमजोर आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए अधिक समावेशी और सक्रिय रुख अपनाने के लिए मात्र नामकरण से आगे बढ़ रहा है।

आदिम जनजातीय शिक्षा संबंधित योजनाएं

अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की साक्षरता दर में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो विभिन्न शैक्षिक पहलों के प्रभाव को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, एसटी के लिए साक्षरता दर 59% थी, जो राष्ट्रीय औसत 73% से काफी कम थी। इस असमानता ने लक्षित शैक्षिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 2017-18 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) ने एक सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत दिया, जिसमें एसटी के लिए साक्षरता दर बढ़कर 67.7% हो गई, जबकि सामान्य आबादी के लिए साक्षरता दर 76.9% थी। पीएलएफएस 2018-19 में और प्रगति देखी गई, जिसमें कुल आबादी के लिए 78.1% की तुलना में एसटी के लिए साक्षरता दर 69.4% दर्ज की गई। ये आँकड़े एसटी और सामान्य आबादी के बीच शैक्षिक अंतर को पाटने की दिशा में चल रहे प्रयासों और क्रमिक लेकिन सार्थक प्रगति को रेखांकित करते हैं[9]।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना (2019-20):

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक समर्पित केंद्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में कार्यान्वित किया गया।

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

- उद्देश्य: उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना।एसटी छात्रों को इष्टतम शैक्षिक अवसरों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना, उनके और सामान्य आबादी के बीच अंतर को कम करना।
- स्थिति: देश भर में 285 परिचालन ईएमआरएस।

आश्रम विद्यालय:प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर एसटी के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए राज्यों को सहयोग प्रदान करें।

एसटी छात्रावास:राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/विश्वविद्यालयों में नए छात्रावास भवनों के निर्माण और/या मौजूदा छात्रावासों के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता।

कम साक्षरता वाले जिलों में एसटी लड़कियों के बीच शिक्षा को मजबूत करने की योजना:

एसटी लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसरों के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को 100% अनुदान सहायता।

छात्रवृत्ति कार्यक्रम:

कक्षा नौवीं और दसवीं में एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति।

जनजातीय उप-योजना (एससीए से टीएसपी):

छात्रावासों, चारदीवारी, खेल के मैदानों का निर्माण, शौचालयों और पीने के पानी का प्रावधान, स्कूलों में किचन गार्डन आदि सहित विभिन्न शैक्षिक हस्तक्षेप।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए):

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप, 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005 (एनसीएफ) के अनुसार, एसटी सहित सभी बच्चों के लिए शिक्षा में भाषा और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV):

वंचित समूहों (एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, बीपीएल) की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक आवासीय विद्यालय।

उद्देश्य: लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना और स्कूली शिक्षा में लिंग अंतर को कम करना।

जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा का दायरा बढ़ाना:

शिक्षा को प्रासंगिक और रोचक बनाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में खेल, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जनजातीय कला, चित्रकला, शिल्प, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और पारंपरिक खाद्य पदार्थ (बाजरा) को शामिल करें।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए योजना:

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के नेतृत्व में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)।

उद्देश्य: पीवीटीजी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उनकी समग्र सामाजिक-आर्थिक उन्नति।

दृष्टिकोण: आवास विकास दृष्टिकोण के माध्यम से महत्वपूर्ण विकास संबंधी अंतरालों को संबोधित करें।

फंडिंग: शिक्षा, आवास, आजीविका, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य सरकारों द्वारा डिजाइन की गई संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाओं के साथ संरेखित करें।

योजना के तहत परियोजनाएं और गतिविधियां समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और मांगों से संचालित होती हैं।

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

आजीविका में बदलाव

शिक्षा पर जोर देने से बिरहोर परिवारों में पारंपरिक व्यवसायों से धीरे-धीरे बदलाव आया है। जैसे-जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वे शिकार और सभा जैसी पारंपरिक गतिविधियों में भाग लेने में कम समय बिताते हैं। इस बदलाव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हैं। एक ओर, शिक्षा आर्थिक गतिशीलता और मुख्यधारा के समाज में एकीकरण के नए अवसर खोलती है। दूसरी ओर, यह समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को चुनौती देता है, जिनके लुप्त होने का खतरा है।खानाबदोश से शिक्षा द्वारा सुगम जीवनशैली में परिवर्तन ने बिरहोर परिवारों की आर्थिक संरचना को भी बदल दिया है। जबकि पारंपरिक व्यवसाय निर्वाह प्रदान करते हैं, शिक्षा अधिक स्थिर और विविध आय स्रोतों की क्षमता का वादा करती है। हालाँकि, इस बदलाव के लिए सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिरहोर समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक कौशल पूरी तरह से नष्ट न हो जाएं।

महिला सशक्तिकरण

शिक्षा ने विशेष रूप से बिरहोर महिलाओं को सशक्त बनाया है, उन्हें साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्रदान किया है। इस सशक्तिकरण से परिवारों और समुदायों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। शिक्षित महिलाएं अब अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की वकालत करने में अधिक शामिल हैं, जिससे परिवार की भलाई में समग्र सुधार हो रहा है।शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के व्यापक सामाजिक निहितार्थ भी हैं। यह महिलाओं को बेहतर आर्थिक अवसरों और संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर गरीबी और हाशिए के चक्र को तोड़ने में योगदान देता है। शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने की अधिक संभावना रखती हैं, जिससे एक सकारात्मक प्रभाव पैदा होता है जिससे पूरे समुदाय को लाभ होता है।

अंतरपीढ़ीगत परिवर्तन

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

औपचारिक शिक्षा प्राप्त बिरहोर बालिकाएं अक्सर अपने माता-पिता की तुलना में भिन्न मूल्यों और आकांक्षाओं को अपनाती है। यह अंतर-पीढ़ीगत बदलाव कभी-कभी घर्षण का कारण बनता है, क्योंकि युवा पीढ़ी नए अवसरों की तलाश करती है और पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देती है। हालाँकि, यह क्रमिक सामाजिक परिवर्तन की सुविधा भी देता है, जिससे बेहतर आजीविका और बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षाएँ पैदा होती हैं।शिक्षा महत्वाकांक्षा की भावना पैदा करती है और बिरहोर बालिकाओं के क्षितिज को व्यापक बनाती है। वे ऐसे भविष्य की कल्पना करना शुरू करते हैं जो उनके पारंपरिक जीवन शैली से आगे बढती है, ऐसे करियर और जीवनशैली की आकांक्षा करते हैं जो पहले अकल्पनीय थी। आकांक्षाओं में यह बदलाव शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है, लेकिन यह एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है जो प्रगति को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करता है।

बिरहोर जनजाति के बालिकाओं लिए शिक्षा की चुनौतियाँ और बाधाएँ

सांस्कृतिक प्रतिरोध

लाभों के बावजूद, औपचारिक शिक्षा के एकीकरण को लेकर बिरहोर समुदाय की बालिकाओं के भीतर महत्वपूर्ण प्रतिरोध है। बुजुर्ग अक्सर स्कूली शिक्षा को पारंपरिक प्रथाओं और मूल्यों के लिए खतरा मानते हैं। यह सांस्कृतिक प्रतिरोध शिक्षा की सार्वभौमिक स्वीकृति के लिए एक चुनौती है, जो पारंपरिक ज्ञान का सम्मान और समावेश करने वाले सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।बिरहोर बालिकाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों में एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के नेताओं और बुजुर्गों को शामिल किया जाना चाहिए। पारंपरिक प्रथाओं को स्वीकार करने और उन्हें महत्व देने से, शैक्षिक पहल अधिक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकती हैं और प्रतिरोध को कम कर सकती हैं।

आर्थिक बाधाएँ

हालाँकि शिक्षा मुफ़्त है, वर्दी, किताबें और परिवहन जैसी सहायक लागत बिरहोर बालिकाओं के लिए निषेधात्मक हो जाती है। इसके अतिरिक्त, बच्चों के श्रम की हानि, जो

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

पहले परिवार के लिए एक आर्थिक संपत्ति थी, वित्तीय तनाव को बढ़ा देती है। ये आर्थिक बाधाएँ अक्सर उच्च ड्रॉपआउट दर और असंगत स्कूल उपस्थिति का कारण बनती हैं।इन चुनौतियों से निपटने के लिए लक्षित वित्तीय सहायता कार्यक्रम आवश्यक हैं। छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करने से बिरहोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि बच्चे अपने परिवार की आर्थिक स्थिरता से समझौता किए बिना स्कूल जा सकें।

शिक्षा की गुणवत्ता

अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त शिक्षण सामग्री के कारण बंदगांव प्रखंड जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर कम होती है। इसका परिणाम सीखने के सीमित परिणाम और उच्च ड्रॉपआउट दर के रूप में सामने आता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के लाभ पूरी तरह से प्राप्त हों, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना महत्वपूर्ण है।शैक्षिक बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और पर्याप्त शिक्षण सामग्री के प्रावधान में निवेश आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल स्कूल और सामुदायिक शिक्षण केंद्र जैसे नवीन दृष्टिकोण दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच के मुद्दों को संबोधित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के कार्यान्वयन ने पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड में रहने वाले बिरहोर बालिकाओं के भीतर एक बहुमुखी परिवर्तन की शुरुआत की है। यह शैक्षिक हस्तक्षेप, सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करते हुए, समुदाय के भीतर मौजूद सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक स्थिरता और शैक्षिक गुणवत्ता की जटिल चुनौतियों को भी प्रकाश में लाता है। बिरहोर के बीच सतत विकास हासिल करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान को स्वीकार करे बल्कि सक्रिय रूप से उनका सम्मान भी करे और साथ ही उनके सामने आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को भी संबोधित करे।बिरहोर के बीच शैक्षिक पहल की सफलता पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करने और आधुनिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

अवसरों को अपनाने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने पर निर्भर करती है। शिक्षा ने निस्संदेह नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, बिरहोर व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाया है, और बेहतर आजीविका और जीवन स्तर की आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है। हालाँकि, यह संक्रमण पारंपरिक आजीविका और ज्ञान प्रणालियों के लिए भी खतरा पैदा करता है, जिससे सांस्कृतिक विरासत के क्षरण का खतरा होता है। इसलिए, किसी भी शैक्षणिक हस्तक्षेप को इन गतिशीलता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति की खोज में समुदाय की विशिष्ट पहचान से समझौता नहीं किया जाए।इसके अलावा, आर्थिक बाधाएँ बिरहोर बालिकाओं के बीच शैक्षिक अवसरों की पूर्ण प्राप्ति के लिए कठिन चुनौतियाँ पेश करती हैं। हालाँकि शिक्षा स्वयं मुफ़्त हो सकती है, वर्दी, किताबें और परिवहन जैसी सहायक लागतें पहले से ही आर्थिक बाधाओं से जूझ रहे परिवारों पर महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डाल सकती हैं। बिरहोर बालिकाओं को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और शिक्षण सामग्री तक सीमित पहुंच घटिया शैक्षिक परिणामों और उच्च ड्रॉपआउट दर में योगदान करती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश करने और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, बिरहोर के अद्वितीय सांस्कृतिक संदर्भ के साथ प्रतिध्वनित होने वाले सार्थक सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम विकास और सामुदायिक जुड़ाव महत्वपूर्ण हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो बिरहोर समुदाय की आवाज़ और जरूरतों को प्राथमिकता दे। इसमें बंदगांव प्रखंड में बिरहोर बालिकाओं की विशिष्ट वास्तविकताओं के अनुरूप समाधान तैयार करने के लिए स्थानीय नेताओं, सामुदायिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करना शामिल है। इसके अलावा, मौजूदा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों, जैसे छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास की पहल का लाभ उठाकर, बिरहोर की समग्र भलाई को बढ़ावा देते हुए उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं का समर्थन किया जा सकता है।

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

संक्षेप में, बिरहोर के बीच सतत विकास की यात्रा के लिए सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक गतिशीलता की एक जटिल परस्पर क्रिया की आवश्यकता होती है। एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर जो उनकी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करता है और उसका जश्न मनाता है, साथ ही उन्हें सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए उपकरणों और अवसरों से लैस करके, हम बिरहोर जनजाति के लिए एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं जो सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील दोनों हो। केवल सहयोगात्मक और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से ही हम बिरहोर समुदाय के भीतर और उससे बाहर सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा की पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं।

संदर्भ सुची:-

[1]अग्रवाल सौरभ (2021), शिक्षा के सिद्धांत, एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली
[2]महरोत्रा ममता, शर्मा महेश (2021), शिक्षा का अधिकार, प्रभात प्रकाशन, न्यू दिल्ली
[3]पाराशर मधु, सिंह दीपा (2021), भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, एसबीपीडी प्रकाशन, न्यू दिल्ली
[4]https://dsel.education.gov.in/hi/scheme/nmmss
[5]बंधु प्रांजलि, जैकब टी. जी. (2019), एनकाउन्टरींग द आदिवासी क्वेश्चन, स्टूडेरा प्रेस, न्यू दिल्ली
[6]https://ncst.nic.in/
[7]https://ncst.nic.in/sites/default/files/documents/central_government/File415.pdf
[8]तायवाड़े मनीष, गिरी प्रज्ञा परमिता, भाटिया विकास (2023), जीवन संपर्क: इंट्रोडक्शन ऑफ पी.वी.टी.जी., न्यूरेडमार्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ओड़िसा
[9]https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1657743